

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1642
(10 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत नई सड़कों का निर्माण

1642. श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत दस वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों को आवंटित की गई कुल निधि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त निधि से निर्मित नई सड़कों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है;
- (ग) विशेषकर महाराष्ट्र के बीड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और मराठवाड़ा क्षेत्र में स्वीकृत, निर्मित और वर्तमान में निर्माणाधीन सड़कों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों, विशेषकर उक्त निर्वाचन क्षेत्र में कितनी ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है;
- (ङ) क्या सरकार को जानकारी है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आकांक्षी जिले और कम आबादी वाले गांव अक्सर बारहमासी सड़क संपर्क से वंचित रह जाते हैं; और
- (च) क्या सरकार विशेषकर उक्त निर्वाचन क्षेत्र में किसी विशेष उपबंध, लचीले मानकों या न्यूनतम जनसंख्या मानक में छूट देने पर विचार कर रही है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

- (क): प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत पिछले दस वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों को जारी की गई कुल केंद्रीय निधियों का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-1** में दिया गया है।
- (ख): पीएमजीएसवाई के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत, पिछले दस वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र राज्य (9,721.58 किलोमीटर लंबाई की 1,367 सड़कें और 461 पुल) सहित देश भर में 3,71,088.81 किलोमीटर लंबाई की कुल 71,406 सड़कें और 9,228 पुलों का निर्माण किया गया है। राज्य-वार विवरण कार्यक्रम की वेबसाइट <https://pmsgy.dord.gov.in> -> Progress Monitoring-> Monthly Progress Report -> Financial Year-wise Achievement पर देखा जा सकता है।

(ग) और (घ): महाराष्ट्र के बीड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में , योजना की शुरुआत से लेकर 05.02.2026 तक, पीएमजीएसवाई के विभिन्न कार्यकलापों के तहत कुल 1,180.27 किलोमीटर लंबाई की 272 सड़कें और 43 पुल स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 1,082.53 किलोमीटर लंबाई की 258 सड़कें और 42 पुल पहले ही पूरे हो चुके हैं। पीएमजीएसवाई-III के तहत केवल 84.75 किलोमीटर लंबाई की 14 सड़कें और 1 पुल निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। पीएमजीएसवाई-III के तहत कार्यों को पूरा करने की समय सीमा मार्च 2026 तक है। मराठवाड़ा क्षेत्र में औरंगाबाद (अब छत्रपति संभाजीनगर) , जालना, बीड, परभणी, लातूर, नांदेड़, उस्मानाबाद और हिंगोली जिले शामिल हैं। पीएमजीएसवाई के विभिन्न कार्यकलापों के तहत महाराष्ट्र के जिलों में योजना की शुरुआत से लेकर अब तक स्वीकृत, पूर्ण और शेष कार्यों का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

कार्यकलाप-वार/जिला-वार विवरण कार्यक्रम की वेबसाइट <https://pmsgy.dord.gov.in> -> **Progress Monitoring-> Monthly Progress Report -> State MPR Abstract Report** पर भी देखा जा सकता है। इसमें पीएमजीएसवाई के तहत स्वीकृत ग्रामीण सड़कों और पीएमजीएसवाई के अन्य घटकों से संबंधित विवरण शामिल है।

(ङ) और (च): पीएमजीएसवाई-IV का प्राथमिक उद्देश्य 2011 की जनगणना के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक आबादी वाले , पहाड़ी राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र , विशेष श्रेणी क्षेत्रों (जनजातीय अनुसूची-5 क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, आकांक्षी ब्लॉक/जिले) में 250 से अधिक आबादी वाले और एलडब्ल्यूई प्रभावित 9 राज्यों के जिलों में (गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित क्षेत्र) में 100 से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों की लगभग 25,000 सड़क संपर्क रहित बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करना है।

पीएमजीएसवाई को एक क्षेत्र विकास कार्यक्रम के रूप में तैयार किया गया है , जिसमें 'बसावट' इकाई है और इसका उद्देश्य पात्र बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करना है , ताकि कृषि और गैर-कृषि उत्पादन केंद्रों में और उसके आसपास रहने वाली पूरी आबादी के लिए पहुंच सुनिश्चित हो सके। पिछड़े और उपेक्षित क्षेत्रों में समावेशी और समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए , पीएमजीएसवाई-IV को दो लक्षित पहल के साथ समन्वय में लागू किया जा रहा है, जो निम्नानुसार हैं:

(i) धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए): पीएमजीएसवाई- IV के तहत वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 500+ आबादी और 50% या इससे अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी वाली बसावटों, या आकांक्षी जिलों में 250+ श्रेणी में 50+ अनुसूचित जनजाति की आबादी वाली बसावटों को प्राथमिकता दी गई है।

(ii) प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय): पीएमजीएसवाई- IV के तहत 500+ की आबादी वाली और 40% या अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाली बसावटों को प्राथमिकता दी जाती है।

वर्तमान में पीएमजीएसवाई IV दिशानिर्देशों को इसी रूप में जारी रखा गया है।

लोक सभा में दिनांक 10.02.2026 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1642 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएमजीएसवाई के तहत पिछले दस वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों को जारी राज्य-वार कुल केंद्रीय निधि (रु करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (on 5.2.2026)
1	अंडमान और निकोबार	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	9.22	12.22	12.22	0.05	0.00
2	आंध्र प्रदेश	379.20	197.59	226.16	243.88	476.27	53.20	50.00	644.13	140.64	507.32	29.83
3	अरुणाचल प्रदेश	375.00	205.92	700.00	1350.00	1123.00	952.31	1090.60	1018.74	339.90	609.00	247.76
4	असम	347.82	475.76	575.58	2542.76	2401.88	2516.62	1591.50	664.91	391.29	79.24	143.26
5	बिहार	2781.00	2958.34	1592.26	140.00	286.70	49.13	375.00	1443.23	963.37	1195.44	0.00
6	छत्तीसगढ़	498.00	449.81	508.66	664.39	1614.60	924.48	394.41	995.87	401.77	325.24	127.30
7	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	गुजरात	474.10	31.04	0.00	0.00	0.00	79.08	195.50	266.63	298.41	220.65	38.14
9	हरियाणा	304.70	44.01	0.00	13.20	16.03	0.00	353.23	168.25	74.01	27.38	0.00
10	हिमाचल प्रदेश	268.40	396.61	399.56	703.37	1284.89	745.24	517.45	624.76	617.56	634.82	603.83
11	जम्मू और कश्मीर	488.00	755.61	1400.00	590.77	695.50	1727.30	1328.34	717.00	1304.17	1028.25	121.17
12	झारखंड	865.00	819.59	1381.70	757.32	214.41	293.50	0.00	332.63	752.80	961.77	0.00
13	कर्नाटक	140.80	331.95	5.00	47.19	534.24	49.29	704.25	720.47	72.25	100.58	7.47

क्र.सं.	राज्य	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (on 5.2.2026)
14	केरल	151.00	179.45	169.13	105.88	48.64	89.97	0.00	106.76	54.25	122.27	78.07
15	मध्य प्रदेश	1122.00	1979.48	1308.45	1057.49	1308.97	1099.54	1392.25	1557.47	599.42	703.29	100.07
16	महाराष्ट्र	553.30	606.00	330.63	6.75	150.00	0.00	0.00	743.00	1110.80	854.93	206.28
17	मणिपुर	299.80	412.19	231.50	293.63	263.85	420.66	742.00	744.98	161.29	2.81	15.07
18	मेघालय	150.70	211.99	50.04	196.42	357.00	355.29	483.92	405.89	122.59	219.62	182.67
19	मिजोरम	50.90	93.36	200.00	51.32	576.06	1.59	74.34	584.20	141.37	87.50	44.38
20	नागालैंड	4.00	8.05	8.80	149.63	88.89	72.89	145.31	183.15	161.29	2.25	3.12
21	ओडिशा	1382.70	1925.67	2249.99	2535.18	798.11	774.29	404.12	1235.88	1262.55	712.39	134.75
22	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.66	24.72	0.27	25.00	0.00
23	पंजाब	221.10	275.66	339.15	0.00	0.00	0.00	68.59	231.06	265.10	319.87	64.23
24	राजस्थान	559.90	559.41	1120.26	150.05	184.74	237.15	917.51	199.90	404.79	450.46	169.59
25	सिक्किम	68.60	138.16	337.00	199.40	4.39	195.50	107.28	263.33	94.37	70.00	65.85
26	तमिलनाडु	205.00	309.58	636.39	619.14	308.46	265.38	440.00	613.70	411.36	638.66	309.36
27	त्रिपुरा	274.83	392.27	135.38	73.31	10.64	69.57	73.88	267.59	185.03	172.75	36.19
28	तेलंगाना	273.73	146.03	242.87	112.77	267.38	0.00	86.38	321.43	296.963	132.57	68.91
29	उत्तर प्रदेश	1110.35	1234.87	910.30	370.17	78.07	123.90	1418.55	2068.57	2679.63	1968.60	7.10

क्र.सं.	राज्य	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (on 5.2.2026)
30	उत्तराखंड	409.20	550.20	702.21	988.23	554.90	1536.27	787.00	1297.16	551.05	815.50	202.25
31	पश्चिम बंगाल	1427.58	819.18	1058.35	1426.98	348.25	969.31	49.94	381.03	99.275	225.00	230.25
32	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	140.79	109.97	37.50	113.81	59.57
कुल		15186.71	16507.78	16824.37	15389.23	13995.87	13651.46	13952.99	18948.61	14007.29	13327.03	3296.47

-

लोक सभा में दिनांक 10.02.2026 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1642 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

योजना की शुरुआत के बाद से 05.02.2026 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में पीएमजीएसवाई के विभिन्न कार्यकलापों/घटकों के तहत स्वीकृतपूर्ण और शेष कार्यों का विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	स्वीकृत			पूर्ण			शेष *		
		सड़क कार्यों की संख्या	सड़क की लंबाई (किमी में)	पुलों की संख्या	सड़क कार्यों की संख्या	सड़क की लंबाई (किमी में)	पुलों की संख्या	सड़क कार्यों की संख्या	सड़क की लंबाई (किमी में)	पुलों की संख्या
1	अहमदनगर	281	1,818.19	22	250	1,641.15	19	31	125.43	3
2	अकोला	140	782.20	20	140	767.10	20	0	0.00	0
3	अमरावती	160	838.26	50	159	818.15	30	1	2.67	20
4	औरंगाबाद	213	960.67	63	205	908.27	49	8	35.83	14
5	बीड	272	1,180.27	43	258	1,082.53	42	14	84.75	1
6	भंडारा	171	717.47	9	170	710.70	9	1	0.20	0
7	बुलढाना	158	711.22	25	156	703.19	19	2	5.06	6
8	चंद्रपुर	166	1,037.83	65	164	1,010.35	54	2	19.00	11
9	धुले	188	969.93	63	183	900.98	56	5	45.18	7
10	गडचिरोली	341	1,923.94	120	315	1,699.31	111	26	152.37	9
11	गोंदिया	285	1,126.41	16	284	1,090.31	16	1	0.80	0
12	हिंगोली	192	633.15	24	192	629.07	21	0	0.00	3
13	जलगांव	219	1,100.50	21	208	1,042.59	21	11	51.33	0
14	जलना	210	1,017.18	89	205	997.43	70	5	9.35	19
15	कोल्हापुर	191	851.73	10	183	821.35	9	8	23.58	1
16	लातूर	228	854.64	69	222	836.52	66	6	15.44	3

क्र.सं.	जिले का नाम	स्वीकृत			पूर्ण			शेष *		
		सड़क कार्यों की संख्या	सड़क की लंबाई (किमी में)	पुलों की संख्या	सड़क कार्यों की संख्या	सड़क की लंबाई (किमी में)	पुलों की संख्या	सड़क कार्यों की संख्या	सड़क की लंबाई (किमी में)	पुलों की संख्या
17	नागपुर	196	967.36	33	193	931.71	15	3	9.66	18
18	नांदेड	164	966.06	28	148	850.01	25	16	81.38	3
19	नंदुरबार	220	1,387.59	29	209	1,330.51	29	11	32.23	0
20	नासिक	303	1,783.60	41	270	1,541.91	34	33	116.91	7
21	उस्मानाबाद	166	700.76	61	156	685.39	53	10	14.20	8
22	परभनी	188	638.34	26	177	555.49	24	11	60.69	2
23	पुणे	325	1,875.66	17	298	1,745.27	16	27	105.04	1
24	रायगढ	125	471.95	2	106	431.56	2	19	30.44	0
25	रत्नागिरि	207	809.95	7	183	689.07	7	24	119.39	0
26	सांगली	251	948.57	8	244	909.73	8	7	21.46	0
27	सतारा	211	1,240.32	2	191	1,121.39	2	20	88.96	0
28	सिंधुदुर्ग	189	722.80	10	150	596.12	10	39	129.84	0
29	सोलापुर	348	1,678.74	21	341	1,632.22	19	7	31.15	2
30	थाइन	65	235.38	0	54	203.85	0	11	22.50	0
31	वर्धा	159	1,123.03	28	159	1,103.59	15	0	0.00	13
32	वाशिम	127	623.07	18	122	601.46	12	5	8.88	6
33	यवतमाल	190	1,236.94	68	189	1,238.09	47	1	1.35	21
34	पालघर	209	542.51	2	203	491.81	2	6	27.33	0
कुल		7,058	34,476.16	1,110	6,687	32,318.16	932	371	1,472.37	178

(*) सभी शेष सड़क लंबाई कार्य निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। सड़क की स्वीकृत और पूर्ण लंबाई के अंतर से कम शेष सड़क की लंबाई इसलिए है क्योंकि कुछ परियोजनाएं सड़क की लंबाई में कमी, संरक्षण में बदलाव, अन्य एजेंसियों द्वारा आंशिक लंबाई के निर्माण आदि के कारण स्वीकृत लंबाई से कम के साथ पूरी की गई थीं।